संख्या– 214 /VI-I/2008–2(3)2007

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून दिनांक 31 जुलाई, 2008

विषय :–लक्ष्मी आश्रम कौसानी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरला बहन की स्मृति में संग्रहालय की स्थापना हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10/स.नि.उ./दो–3/2008–9 दिनांक–2–4–08 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग जनपद बागेश्वर द्वारा तैयार आगणन रू0 22.77 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 22.36 लाख (रू0 बाईस लाख छत्तीस हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू010.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–208/VI-I/2008 दि0–8–5–08 के द्वारा आपके नियर्तन पर रखी गयी धनराशि से व्यय किए जाने की निम्न शर्तो एवं प्रतिबधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 दरों पर किया जाएगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जाएगा।

4. कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों, जो दरें 'शिड्यूल आफ रेट' में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5.कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये एवं सामग्री क्रय

करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें। एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6.कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

7.एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9.कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूगर्भवेत्ता एवं उच्चाधिकारियों का भली–भांति निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें, निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य कराया जाये।

10.निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11. कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

12.मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV– 219 (2006) दिनांक 30.5.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04– कला और संस्कृति–106–संग्रहालय –03–संग्रहालय भवन संबंधी निर्माण–00–24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

14. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–165(पी)/XXVII(3)/2008 दिनांक–21 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 3114 /VI-I/2008–2(3)2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3,उत्तराखण्ड शासन/बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून
7. मीडिया सेन्टर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)
अनुसचिव